न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : अशोक कुमार ,आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :- 97/2024
जी.सी.एम.एस.संख्या :- 2024/164

प्रार्थीनी	बनाम	विप्रार्थीगण
ललिता पुत्री चेतनराम जाति मेघवाल निवासी,कलावा तहसील पचपदरा		1.अनिल कुमार पुत्र अमृतलाल 2.पुष्पादेवी पत्नि धनश्यामदास 3.अशोक कुमार पुत्र अमृतलाल के वारिसान 3/1.रौनककुमार पुत्र अशोककुमार जाति अग्रवाल नयापुरा बाड़मेर 4.माधव पुत्र श्यामलाल अग्रवाल निवासी रामलीला मैदान बालोतरा 5.रधुवीर प्रसाद पुत्र ओमप्रकाश अग्रवाल निवासी बलदेवजी की पोल न्याति न्यौहरा के पास बालोतरा 6.राधेश्याम पुत्र गणेशीलाल अग्रवाल निवासी रामलीला मैदान बलदेवजी पोल बालोतरा 7.भूराराम पुत्र जोराराम जाति कलबी निवासी रा.प्रा.वि. के पास चौधरियों की ढाणी,असाड़ा 8.मूलाराम पुत्र जोराराम कलबी निवासी रा.प्रा.वि. के पास चौधरियों की ढाणी असाड़ा 9.विष्णुदास पुत्र जसराज जाति अग्रवाल के वारिसान 9/1.राजेशकुमार पुत्र विष्णुदास अग्रवाल 9/2.विवेक कुमार पुत्र विष्णुदास निवासी प्लोट नम्बर 48 अग्रसेन नगर पाल रोड़ खेमे का कुआं के पास जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति-

1.श्री पुनमाराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीनी

2.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1,3/1 व 4,5

3.विप्रार्थी संख्या 2 व 6 से 9/2 एकपक्षीय।

:आदेश :

दिनांक- 25.03.2026

1. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीनी ललिता पुत्री चेतनराम जाति मेगवाल निवासी कलावा तहसील पचपदरा ने अपने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1226/466 मौजा कलावा तहसील पचपदरा में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए विप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 803/467 में से 30 फीट चौड़ा रास्ता नजरी नक्शा मार्क ए से बी बरंग लाल कायम करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया हैं तथा संलग्न नक्शानुसार रास्ता नजदीक सरल एवं एकमात्र विकल्प होने के कारण प्रार्थीनी के खातेदारी जोत तक कृषि कार्य आवागमन हेतु उक्तानुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करने का निवेदन किया हैं।
2. प्रार्थीनी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्री नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण क नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र गहलोत द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 व 3/1 से 5 की तरफ से वकालतनामा पेश कर जवाब पेश किया गया। शेष विप्रार्थी बावजूद नोटिस तामीली के उपस्थित नही होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार पचपदरा से निर्धारित प्रारूप में मौका रिपोर्ट तलब की गई,जो शामिल मिसल है।
3. तत्पश्चात् प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीनी ने दौराने बहस प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया था,कि प्रार्थीनी के आवेदन-पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शित मार्क ए से बी तक यानि विप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 803/467 भूमि में से 30 फीट चौड़ा रास्ता आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित किया जावें। उक्त रास्ता नजदीक सरल एवं सुगम रास्ता हैं,प्राथीनीं के पास आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विधमान नहीं है। अंत में निवेदन किया कि तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है,तो प्रार्थीनी को आपति नहीं है। प्रार्थीनी प्रस्तावित रास्ता की स्वीकृति के बदले क्षतिपूर्ति राशि जमा करवानें के लिए सहमत है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

4. इसके विपरीत विप्रार्थी अधिवक्ता की बहस थी कि प्रार्थीनी की ओर से मनगढन्त तथ्यो के आधार पर आवेदन पत्र पेश किया गया है,जिसमें प्रार्थीनी को सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है,क्योकि विप्रार्थी की खातेदारी भूमि मे से कोई रास्ता अवस्थित ही नहीं है,तो रास्ता दिए जाने का कोई प्रावधान नही है। इसके अलावा प्रार्थीनी आवागमन के लिए खसरा संख्या 868/469 व 469 मे आना जाना करती है,जो कि निकटतम रास्ता है,लेकिन निकटतम रास्ता उपलब्ध होने के उपरांत भी विप्रार्थी को परेशान करने की नियत से आवेदन पेश किया गया है। प्रार्थीनी खसरा संख्या 868/469 व 469 के खातेदारान से मिलीभगत करते हुए उक्त खसरान के खातेदारान को अनुचित लाभ पहुचाने की नियत से आवेदन पेश किया गया है,जबकि विप्रार्थी की खातेदारी भूमि मे आवागमन का रास्ता मौजूद ही नही है और न ही प्रार्थीनी द्वारा कभी रासता हेतु भूमि का उपयोग किया गया है। प्रार्थीनी केवलमात्र विप्रार्थी की भूमि को खुर्द बुर्द करने की नियत से आवेदन पत्र पेश किया गया है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया था,कि रास्ता की मौका जांच एकपक्षीय की गई है,मौका जांच करने से पूर्व विप्रार्थी को सूचना हेतु नोटिस नही दिया गया। केवलमात्र प्रार्थीनी द्वारा मिलीभगत करते हुए अपनी पक्ष की मौका रिपोर्ट तैयार करवा दी गई,जो की गलत तथ्यो के आधार पर मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीनी का आवेदन मनगढत तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावे।

5. **हमनें** उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं मौका जांच रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अवलोकन कियाा तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीनी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु खसरा संख्या 803/467 में से 30 फीट चौड़ाई का रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया है। तहसीलदार पचपदरा ने मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु रिपोर्ट उपलब्ध करवाए गए,जिसके अनुसार :-

6. ग्राम कलावा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 803/467 में आवागमन हेतु मौका फर्द में दर्शित नक्शा बरंग बैगनी भूमि निकटतम है,इसके अतिरिक्त प्रार्थीनी के खेत से राजकीय मार्ग तक पहुचने का निकटवर्ती विकल्प विधमान नहीं है,उक्त प्रस्तावित रास्ता ही निकटतम व प्रयुक्त होना बताया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

7. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु हम धारा 251–क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझतें है,जिसके अनुसारः–

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर,विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में,पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा,आवेदक को,अभिधारी,जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है,दर्शाया जाये,भूमि में से होकर,और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए,उस अभिधारी को,जो उस भूमि को धारित करता है,जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विधमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये,ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये,अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है,कि प्रार्थीनी द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा। प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीनी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 1226/466 में आवागमन हेंतु राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं,अतः उक्त वर्णित धारा 251–क प्रावधानानुसार प्रार्थीनी आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता प्रमाणित होती है तथा आवागमन हेतु वैकल्पिक साधन के अभाव भी प्रार्थीनी द्वारा सिद्ध किया गया हैं। इस प्रकार प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है तथा नजदीक दूरी का रास्ता है। जहां तक विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में उजर उठाया गया कि खसरा संख्या 868/469 व 469 प्रार्थीनी के खेत के नजदीक है,प्रार्थीनी द्वारा उक्त खसरान से ही आवागमन करती है,इस कारण प्रार्थीनी रास्ता के लिए भूमि विप्रार्थी की खातेदारी मे से नही दी जाकर वर्णित खसरान से रास्ता की मांग कर सकती है। उक्त तर्क स्वीकार योग्य नही है,क्योकि खसरा संख्या 866/469,867/469 व 468/469 भूमि की किस्म कृषि भूमि नही होकर गैर कृषिक औधोगिक प्रयोजन है,जो राजस्थान काश्तकारी

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

अधिनियम 1955 की धारा 251ए मे गैर कृषिक भूमि मे रास्ता दिए जाने का प्रावधान नहीं है। इस कारण प्रार्थीनी विप्रार्थी की खातेदारी भूमि मे प्रस्तावित रास्ता प्राप्त करने की हकदार है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि प्रार्थीनी का आवेदन-पत्र स्वीकार योग्य है।

8. उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 803/467 में से बरंग बैगनी भूमि 4.5 मीटर (15 फीट) चौड़ाई व 30 मीटर लंबाई कुल 135 वर्गमीटर भूमि सार्वजनिक रास्ता हेतु डी.एल.सी. दर 3,82,000/-प्रति हैक्टयर के हिसाब से दुगूनी प्रतिकर हेतु देय बनती है,जिसको प्रार्थीनी राजकोष के निर्धारित शीर्ष में जमा करवाने हेतु सहमत है,अतः हम प्रार्थीनी का प्रार्थना-पत्र वांछित अनुतोष अनुरूप स्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

:-आदेश :-

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीनी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है,तथा प्रार्थीनी के खातेदारी भूमि ग्राम कलावा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1226/466 में पहुंच हेतु विप्रार्थी की खातेदारी खसरा संख्या 803/467 में से 4.5 मीटर (15 फीट) चौड़ाई व 30 मीटर लंबाई कुल 135 वर्गमीटर भूमि सार्वजनिक रास्ता हेतु मौका रिपोर्ट में दर्शित बरंग बैगनी नक्शानुसार भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग हेतु अनुज्ञात की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित प्रदान किये जाते है कि उक्त वर्णित भूमि का प्रतिकर राशि की अपनी स्तर पर गणना करते हुए कुल देय राशि की दुगुनी राशि प्रभावित पक्षकारान को नियमानुसार भुगतान किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करे तथा मौके पर उक्त घोषित सार्वजनिक रास्ते का सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थीनी को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। अप्रार्थी प्रतिकर राशि नहीं लिए जाने की दशा में निर्धारित मयाद बाद राजकोष में नियमानुसार प्रतिकर राशि जमा करवाई जानी सुनिश्चित करावें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

(अशोक कुमार) 25/03/2026
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 25.03.2026 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

25/03/2026